न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अनुपमा जोरवाल I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	जी.सी.एम.एस	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
04/2021	—	10.02.2021	24.02.2021

श्री भोगजी पिता उंकारलाल मीणा निवासी लोदिया तहसील धरियावद

– अपीलार्थी

–: बनाम :–

श्री सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ – रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1976 के तहत

उपस्थिति :–

श्री रामलाल मीणा एवं श्री सिद्वार्थ मोदी अधिवक्ता
पैरोकार सरकार

–: आदेश :– दिनांक :– 24.02.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भोगजी मीणा उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत लोदीया (अपीलान्ट) के यहां पर प्रवर्तन अधिकारी श्री रामचन्द्र शेरावत जिला रसद कार्यालय प्रतापगढ़ तथा प्रवर्तन निरीक्षक मनोज कुमार गरासिया धरियावद द्वारा अपीलान्ट के यहां पर दिनांक 09.09.2020 को दोपहर पश्चात करीब 3 से 4 बजे के आस पास ग्राम लोदीया बी स्थित उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाश मशीन नम्बर 15293 जांचकर्ताओं को दी गयी जिसमें 1867 कि.ग्रा. गेहुं तथा 1.78 ली. केरोसीन कम माना गया जबकि चीनी और दाल सही पायी गयी इसका उल्लेख दोनों जांचकर्ता अधिकारियों द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में भी अंकित किया। वक्त जांच अपीलान्ट मौके पर उपस्थित रहा और जांच प्रतिवेदन पर अपने हस्ताक्षर किये है।

उक्त जांच में जांच अधिकारियों द्वारा 1867 कि.ग्रा. गेहुं कम माने उस दौरान मुझ अपीलान्ट ने जांचकर्ताओं को स्पष्ट रूप से बताया कि गेहुं दो गोदामों में रखे है लेकिन जांच अधिकारियों ने इस तथ्य पर गौर नहीं करते हुए मात्र एक ही गोदाम की जांच कर शेष गेहुं 1867 कि.ग्रा. नहीं मानते हुए उसको यानी अपीलान्ट को दोषी माना तथा केरासीन के लिए भी अपीलान्ट ने जांचकर्ता अधिकारियों को मौके पर ही केरोसीन के ड्रमों को बाहर खुले में धुप में रखे होने की बात कही व धूप के कारण 1.78 ली. केरोसीन कम आने पर उसका भी गबन करने का दोषी माना जबकि मौके

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

पर ही वस्तुस्थिति अपीलान्ट द्वारा स्पष्ट कर दी गयी लेकिन थी। इसके अतिरिक्त मूल्य एवं स्टॉक बोर्ड पर मूल्य एवं स्टॉक का प्रदर्शन भी नहीं करना माना गया।

उक्त 18.67 कि.ग्रा. गेहुं एवं 1.78 ली. केरोसीन का गबन मानते हुए अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण संख्या 344/2020-21 होकर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। उक्त कारण बताओ नोटिस का जबाव भी अपीलान्ट द्वारा अधिनरथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें अपीलान्ट ने दो गोदाम होने तथा कमी गेहुं 18.67 कि.ग्रा. वैकल्पिक व्यवस्था के तहत नियुक्त किये गये रामलाल उचित मुल्य दुकानदार शकरकन्द (उचित मूल्य दुकानदार शकरकन्द बी FPS-Code 15275) को सिपुर्द किया गया इसका उल्लेख स्वयं रामलाल मीणा उचित मूल्य दुकानदार ने लिखित में अधिनरथ न्यायालय में पेश किया किन्तु बावजुद इन सभी तथ्यों के बाद भी अधिनरथ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 के तहत अपीलान्ट की प्रतिभूति राशि जप्त करते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। इस आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के निम्न प्रकार पेश है :-

1. यह कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय व नियम के विपरीत होकर निरस्त योग्य है।
2. यह कि प्रवर्तन अधिकारी श्री रामचन्द्र शेरावत जिला रसद कार्यालय प्रतापगढ़ तथा प्रवर्तन निरीक्षक मनोज कुमार गरासिया धरियावद द्वारा दिनांक 09.09.2020 को अपीलान्ट के उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया गया। इस दरमियान अपीलान्ट बीमार होने के बावजुद भी जांचकर्ताओं को जांच में सहयोग करने के लिए मौके पर वक्त जांच उपस्थित रहा और जांच रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर भी किये। वक्त जांच के अपीलान्ट ने जांचकर्ताओं को बताया कि गेहुं दो गोदाम में रखे हुए है इसलिये दुसरे गोदाम की भी आप चलकर जांच कर लो लेकिन जांचकर्ता दोनो अधिकारियों ने मात्र एक ही गोदाम की जांच की गयी जिसमें 18.67 कि.ग्रा. गेहुं नहीं होना पाया गया जबकि यह गेहुं दूसरे गोदाम पर रखा है यह तथ्य अपीलान्ट ने उक्त दोनो जांचकर्ताओं को बतायी लेकिन फिर भी जांचकर्ताओं ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया इसके अलावा केरोसीन के ड्रम उचित मुल्य दुकान के बाहर खुले में धुप में रखे हुए थे जिसके लिए अपीलान्ट ने जांचकर्ता को बताया कि ड्रम धूप में है इस कारण 1.78 ली. केरासीन हवा, धूप के कारण कम हुआ है लेकिन इस तथ्य पर भी जांच अधिकारियों ने गौर नहीं किया और इस 1.78 ली. केरोसीन का गबन माना जबकि यह तथ्य कोई गम्भीर तथ्य नहीं होकर एक सद्भाविक विचारणीय है कि पेट्रोलियम पदार्थ जिसमें केरोसीन जैसा पदार्थ भी समाहित होकर हवा के साथ स्वतः उडता है और उसकी मात्रा में कमी आती है इस तथ्य को जांचकर्ताओं को बताने व जांच अधिकारियों को इस तथ्य की जानकारी होते हुए भी कमी माना। अगर 1.78 ली. से सम्भवतया अधिक मात्रा में कमी होती तो गबन का विचारणीय बिन्दु होता फिर भी अपीलान्ट ने उक्त 1.78 ली. केरोसीन वैकल्पिक व्यापस्थापक को सुपुर्द कर दिया लेकिन इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं करते हुए जो निर्णय प्रदान किया वह अपास्त योग्य है।
3. यह कि जांच अधिकारियों द्वारा 18.67 कि.ग्रा. एवं 1.78 ली. केरोसीन कमी पाये जाने एवं कारण बताओ नोटिस के जवाब में अपीलान्ट ने स्पष्ट किया कि उक्त 18.67 कि.ग्रा. गेहुं तथा 1.78 ली. केरोसीन वैकल्पिक व्यवस्थापक रामलाल मीणा उचित मुल्य दुकानदार शकरकन्द बी FPS-Code 15275 को सिपुर्द कर दिये गये है तथा उक्त वैकल्पिक व्यवस्थापक उचित मूल्य दुकानदार शकरकन्द बी FPS-Code 15275 ने भी 18.67 कि.ग्रा. गेहुं प्राप्त करना बताते हुए एक प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जिस पर प्रदर्श 12 डाले गये है। इस प्रकार कमी गेहुं व केरोसनी का समायोजन कर दिये जाने के बावजुद भी अधिनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय प्रदान किया वह न्याय व नियम के विपरीत होकर अपास्त योग्य है।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

4. यह कि दौराने जांच मुल्य व स्टॉक बोर्ड पर मूल्य व स्टॉक का प्रदर्शन नहीं पाया गया जिसके संदर्भ में कारण बताओ नोटिस में अपीलान्ट द्वारा उल्लेखित किया गया है। चुंकि अपीलान्ट जांच के दिन बीमार होने के कारण अपीलान्ट द्वारा राशन वितरण नहीं कर उपभोक्ताओं को राशन के लिए परेशान न होना पडे इस हेतु अपने पुत्र के माध्यम से राशन का वितरण करवाया जा रहा था इस कारण से मूल्य व स्टॉक का बोर्ड पर अंकन करने रह गया था जिसके बाद में अपीलान्ट द्वारा पूर्ण कर लिया गया। अपीलान्ट ने इस बाबत अपने जवाब में भी कथन किया लेकिन बावजुद अपीलान्ट के तथ्यों व जवाब पर किसी प्रकार का कोई गौर नहीं करते हुए जो निर्णय प्रदान किया वह अपास्त योग्य है।

5. यह कि अपीलान्ट पर जो आरोप विरचित किये गये उन सभी के संदर्भ में संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत किया गया। कमी गेहुं की दुसरे गोदाम में होने की जानकारी देने तथा दूसरे गोदाम से कमी गेहुं व केरोसीन की पूर्ति कर देने व स्वयं वैकल्पिक व्यवस्थापक द्वारा कमी गेहुं व केरोसीन प्राप्त करने का लिखित में देने के उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं कर जो प्रतिभूति राशि जप्त करते हुए प्राधिकार निरस्ती बाबत जो निर्णय प्रदान किया वह निर्णय अपास्त योग्य है।

6. यह कि अपीलान्ट एक कर्तव्यनिष्ठ राशन डीलर होकर उस पर पूर्व में किसी भी प्रकार से अनियमितता या गबन बाबत आरोप नहीं लगे ना ही किसी उपभोक्ता ने कोई शिकायत की है। इसके बावजुद भी अधिनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय प्रदान किया वह काबिले निरस्त योग्य है।

7. यह कि माननीय न्यायालय के श्रृवणाधिकार व क्षैत्राधिकार की होकर उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

8. अपील के साथ अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्य प्रति संलग्न कर प्रस्तुत है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर अपीलान्ट का निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया जावे तथा अपीलान्ट की प्रतिभूति राशि एवं उचित मूल्य राशन डीलर का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने बाबत आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी (जिला रसद अधिकारी,प्रतापगढ़) को सूचना पत्र जारी किये गए जिनकी बाद तामील रिपोर्ट पेरोकार सरकार रसद प्रवर्तन अधिकारी रसद श्री रामचन्द्र शेरावत स्वयं मय रिकार्ड कार्यावाही प्रकरण संख्या 344/2020 निर्णय दिनांक 28.12.2020 के उपस्थित हो उपस्थित हुए।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष अन्तिम दिनांक 22.02.2021 को सूनी गई दौराने बहस अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुतं अपील मेंमों दिनांक 10.02.2021 में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किए कि वक्त जांच मौका निरीक्षण जांच दल रसद विभाग द्वारा दिनांक 09.09.2020 को अपीलार्थी द्वारा संचालित FPS 15293 उचित मूल्य दुकान (लोदिया–बी) की जांच अन्तर्गत 18.67 कि.ग्रा गेहूँ की तथा 1.78 लीटर केरोसीन मात्रा पॉस मशीन में उपलब्ध बैलेंस के अनुपात में भौतिक सत्यापन में कम पाया जाना बताया किन्तु वक्त मौका निरीक्षण अपीलार्थी स्वयं के मौके पर उपस्थित रहते हुए निरीक्षण दल को अवगत कराया गया था कि भौतिक सत्यापन में कम पाई गई सामग्री अपीलार्थी द्वारा उचित मूल्य दुकान में भण्डारण हेतु पर्याप्त स्थान नहीं होने के उचित मूल्य दुकान सामग्री के उचित भण्डारण हेतु आरक्षित अन्य गोदाम पर सुरक्षित रखें हुए है। फिर भी जांच दल द्वारा वक्त निरीक्षण कार्यवाही उक्त बिन्दु पर गौर नहीं करते हुए

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

अपीलार्थी के विरूद्ध दिनांक 10.09.2020 को निलंबन आदेश जारी करते हुए अपीलार्थी के प्राधिकृत FPS Code 15293 का कार्यभार वैकल्पिक व्यवस्था स्वरूप उचित मूल्य दुकानदार श्री रामलाल शक्करकंद बी FPS Code 15275 को सिपूर्द करने के आदेश दिये गए जिस पर अपीलार्थी द्वारा पॉस मशीन में अंकित उपलब्ध समस्त सामग्री जिसमें उक्त गेहुँ 1867 कि.ग्रा तथा 1.78 लीटर केरोसीन के साथ वक्त निरीक्षण बराबर पाई सामग्री सहित अन्तरित कर दी गई थी अर्थात अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई कालाबाजारी अथवा अनियमितता नहीं की गई फिर भी जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा जरिये प्रकरण संख्या 344/2020 निर्णय दिनांक 28.12.2020 से अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाना न्याय एवं नियमों के विरूद्ध रहा है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर विवादित आदेश दिनांक 28.12.2020 को अपास्त फरमाते हुए अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र मय प्रतिभूति राशि बहाल किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

इसी प्रक्रम में उपस्थित पैरोकार सरकार सदर विभाग द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड मौका निरीक्षण एवं जांच कार्यवाही तथा निर्णित प्रकरण संख्या 344/2020 दिनांक 28.12.2020 में संलग्न दस्तावेज मौका निरीक्षण जांच रिपोर्ट दिनांक 09.09.2020 में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा वक्त मौका निरीक्षण जांच कार्यवाही पॉस मशीन में अंकित रिकार्ड अनुसार भौतिक सत्यापन में कम पाई गई राशन सामग्री 1867 कि.ग्रा गेहुँ तथा 1.78 लीटर केरोसीन के संबंध में युक्ति–युक्त जवाब नही दिया गया था जिसके चलते यह कार्यवाही की गई है साथ ही निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था स्वरूप प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार श्री रामलाल शक्करकंद बी FPS Code 15275 को अपीलार्थी की पॉस मशीन में दर्ज अंकित उपलब्ध मात्रा अनुसार समस्त सामग्री जिसमें उक्त गेहुँ 1867 कि.ग्रा तथा 1.78 लीटर केरोसीन उपलब्ध कराए गए हैं फिर भी अपीलार्थी को जारी कारण बताओं नोटिस दिनांक 18.09.2020 के संबंध में प्रस्तुत जवाब पूर्ण रूप से असंतोषप्रद रहा है क्योंकि अपीलार्थी के विरूद्ध अमल में लाई गई निलंबन कार्यवाही दिनांक 10.09.2020 के डर से उसके द्वारा कमी राशन सामग्री ईधर उधर से पूर्ण किया जाना प्रतीत हुआ था जिसके चलते अपीलार्थी के विरूद्ध संचालित प्रकरण संख्या 344/2020 निर्णय दिनांक 28.12.2020 उचित रहा है।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का गहन अवलोकन अवलोकन किया गया जिसमें मुख्य रूप से प्रस्तुत अपील मेमों दिनांक 10.02.2021 एवं वक्त जांच मौका निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 09.09.2020 एवं निलंबन आदेश दिनांक 10.09.2020 तथा कारण बताओं नोटीस दिनांक 18.09.2020 एवं जवाब अपीलार्थी दिनांक 30.09.2020, प्रतिवेदन FPS 15275 दिनांक 30.09.2020 तथा निर्णित पत्रावली संख्या 344/2020 के साथ साथ प्रकरण में प्रचलित विधियों का भी गहन अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन की रोशनी में ज्ञात आया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मेमों में वर्णित कथन एवं पैरोकार सरकार रसद द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड निर्णित पत्रावली संख्या 344/2020 निर्णय दिनांक में संलग्न समस्त दस्तावेजों के अनुसार अपीलार्थी द्वारा किया गया कृत्य मानवीय भूल समान प्रतीत होता है तथा बक्त बहस पैरोकार सरकार द्वारा किये गए कथन

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

की अपीलार्थी के उचित मूल्य दुकान संचालन का समग्र रिकार्ड अच्छा रहा है और अपीलार्थी के विरूद्ध कोई शिकायत भी विचाराधीन नहीं रही है साथ ही उपलब्ध रिकार्ड अनुसार अपीलार्थी द्वारा संचालित उचित मुल्य दुकान FPS 15293 अन्तर्गत वक्त निरीक्षण कम पाई गई समस्त राशन सामग्री उसके द्वारा वितरण हेतु वैकल्पिक उचित मूल्य दुकानदार को अन्तरित किया जाना अपीलार्थी को शिथिलन का पात्र बनाती है तथा अपील को सिद्ध योग्य बनाती है।

अतः अपील अपीलार्थी न्यायहित में स्वीकार कि जाकर जिला रसद अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 344/2020 में जारी आदेश दिनांक 10.02.2020 एवं 28.12.2020 को अपास्त करते हुए निर्देश दिए जाते है कि अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र (FPS 15293) मय जब्त धरोहर प्रतिभूति राशि सहित बहाल किया जावे तथा अपीलार्थी को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में ऐसे कृत्यों की पुनरावर्ती नहीं करें और करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को मेरे द्वारा सरेइजलास सुनाया जाकर लेखबद्ध कराया गया।

(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

Scanned with CamScanner